एमएसएमई - नवोन्मेषी (इन्क्युबेशन, आईपीआर और डिजाइन)

उद्देश्य:

- संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सभी प्रकार के नवाचारों को बढ़ावा देना, जिसमें विचारों को विकसित करके उन्हें इनक्यूबेशन और डिजाइन हस्तक्षेप के माध्यम से नवीन अनुप्रयोगों में परिवर्तित करना शामिल है।
- एमएसएमई क्षेत्र की बौद्धिक रचनाओं की अवधारणा से बाजार तक विकास, डिजाइन प्रतिस्पर्धात्मकता और संरक्षण एवं
 व्यावसायीकरण के लिए उपयुक्त स्विधाएं और सहायता प्रदान करना।
- उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि के बीच ज्ञान साझाकरण और सहयोग के माध्यम से नवाचार और रचनात्मक समस्या समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- नए उत्पाद विकास और मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक/शैक्षणिक नेताओं और नवप्रवर्तकों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
- ऐसे किफायती नवाचारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित कर सकें और साथ ही व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और टिकाऊ हों।

मुख्य लाभ

इन्क्यूबेशन

- विकास और पोषण के लिए एचआई को वित्तीय सहायता एचआई को प्रति विचार अधिकतम 15 लाख रुपये तक प्रदान की जाएगी।
- एचआई को संयंत्र और मशीनरी के लिए 1.00 करोड़ रुपये (अधिकतम) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए बीआई में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि सिहत प्रासंगिक संयंत्र और मशीनों की खरीद
 और स्थापना तथा बीआई के इनक्यूबेटियों के लिए सामान्य सुविधाएं।

डिज़ाइन

डिजाइन परियोजना: िकसी भी एमएसएमई के लिए अनुमोदित डिजाइन परियोजनाओं के लिए, कुल परियोजना लागत का 75%
 (सूक्ष्म) और 60% (लघु एवं मध्यम) भारत सरकार द्वारा अधिकतम 40 लाख रुपये तक का योगदान दिया जाएगा और शेष
 परियोजना लागत एमएसएमई द्वारा वहन की जाएगी और कार्यान्वयन एजेंसी को जमा की जाएगी।

 छात्र परियोजना: कुल परियोजना लागत का 75% योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा , जो अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक होगा।

मैं जनसंपर्क

- आईपीएफसी को माइलस्टोन-आधारित (तीन या अधिक) किस्तों में 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत (जीआई), डिजाइन के पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति: आईपीआर घटक के तहत पात्र आवेदकों को अधिकतम वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

S. No.	Item	Maximum Financial Assistance
i.	Foreign Patent	Rs. 5.00 lakhs
II.	Domestic Patent	Rs. 1.00 lakhs
iii.	GI Registration	Rs. 2.00 lakhs
iv.	Design Registration	Rs. 0.15 lakhs
v.	Trademark	Rs. 0.10 lakhs

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

- इनक्यूबेशन: एमएसएमई, व्यक्ति, छात्र जो अपने नवीन विचारों को विकसित करना चाहते हैं, वे पंजीकृत एचआई के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- डिजाइन: लाभार्थी इकाई (इकाइयों) को एमएसएमईडी अधिनियम में परिभाषा के अनुसार आमतौर पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम होना चाहिए और उसके पास वैध यूएएम या उद्यम पंजीकरण होना चाहिए।
- आईपीआर: UDYAM पंजीकरण के साथ विनिर्माण एमएसएमई के लिए।

विस्तार में जानकारी:

एमएसएमई इनोवेटिव एक समग्र दृष्टिकोण है जो एक ही उद्देश्य के साथ तीन उप-योजनाओं और हस्तक्षेपों को एकीकृत, समन्वित और अभिसरण करता है। एमएसएमई इनोवेटिव, एमएसएमई के लिए एक नई अवधारणा है जिसमें इनक्यूबेशन में नवाचार, डिज़ाइन हस्तक्षेप और एकल मोड दृष्टिकोण में आईपीआर की सुरक्षा का संयोजन है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई के बीच भारत के नवाचार के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करना है। यह नवाचार गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो विचारों को व्यवहार्य

व्यावसायिक प्रस्तावों में विकसित करने में सहायता और मार्गदर्शन करेगा जिससे समाज को सीधे लाभ हो सके और सफलतापूर्वक विपणन किया जा सके।

आवेदन कैसे करें:

• पात्र आवेदक एमआईएस पोर्टल (https://innovative.msme.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं।